संख्या-93/2025/आई/876756/23-1-25/001-23-1002(002)/28/2025

प्रेषक,

राजेश प्रताप सिंह,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 10 फरवरी, 2025

विषय- वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान सं0-58 लेखाशीर्षक-5054 के अन्तर्गत राज्य सड़क निधि से विभिन्न मण्डलों के अन्तर्गत विभिन्न जनपदों के कुल 35 मार्गों के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के कार्यों हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियंता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के अधोलिखित तालिका के स्तम्भ-2 में अंकित पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निम्न विवरणानुसार **विभिन्न मण्डलों के अन्तर्गत विभिन्न जनपदों के कुल 35 मार्गों के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के कार्यों हेतु कुल लागत रू0 5,75,99,86,000/- (रूपये पॉच अरब पचहत्तर करोड़ निन्यानबे लाख छियासी हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के साथ** चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान सं0-58 के **लेखाशीर्षक-5054** के अन्तर्गत राज्य सड़क निधि से कुल **रू0 1,12,56,47,000/- (रूपये एक अरब बारह करोड़ छप्पन लाख सैंतालीस हजार मात्र)** की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निर्गत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0 सं0	मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लो0नि0वि0 का पत्र संख्या व दि0	खण्ड/ जनपद का नाम	कार्य का नाम	लम्बाई (कि0 मी0 में)	कार्य की लागत (18 % जी0एस0टी0 सहित)	5 वर्षीय अनुरक्षण की लागत (18 % जी0 एस0टी0 सहित)	कुल लागत (05 वर्षीय अनुरक्षण एवं 18 प्रतिशत जी0एस0टी0 सहित)	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	352 /40पी0जे0 (सामान्य)/ आर0 एस0डी0-5 /2024, दिनांक 19.11.2024	नि0खं0 बइराइच	आसाम मार्ग (पी0बी0बी0) (राष्ट्रीय राज्य मार्ग-730) के किमी0 270 से बहराइच फैजाबाद आजमगढ़ (एस0एच0-	3.00	813.52	18.60	832.12	162.70

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

क्र0 सं0	मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लो0नि0वि0 का पत्र संख्या व दि0	खण्ड/ जनपद का नाम	कार्य का नाम	लम्बाई (कि0 मी0 में)	कार्य की लागत (18 % जी0एस0टी0 सहित)	5 वर्षीय अनुरक्षण की लागत (18 % जी0 एस0टी0 सहित)	कुल लागत (05 वर्षीय अनुरक्षण एवं 18 प्रतिशत जी0एस0टी0 सहित)	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			30) मार्ग को जोड़ने वाले मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।					
2	371/40पी0 जे0 (सामान्य)/ आर0एस0डी0- 5/2024, दिनांक 20.11.2024	प्रा0खं0 संतकबीरनगर	मगहर कड़सरा मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।	3.60	879.42	20.64	900.06	175.88
3	389/ 40पी0जे0 (सामान्य)/ आर0एस0डी0- 5/2024, दिनांक 21.11.2024	नि0खं0 कुशीनगर	घुघली कोटवा किमी 7 से देवतहा बाली(अजिमा) मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।	6.100	994.95	21.90	1016.85	198.99
4	400/ 40पी0जे0 (सामान्य)/ आर0एस0डी0-5 /2024, दिनांक 22.11.2024	प्रा0खं0 हरदोई	पिहानी बूढागॉव कूल्हाघाट मार्ग(अजिमा) के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।	8.450	2290.22	55.28	2345.50	458.04
5	398/40पी0जे0 (सामान्य)/ आर0एस0डी0-5 /2024, दिनांक 22.11.2024	प्रा0खं0 बागपत	नैथला मोड से राजपुर खामपुर होते हुए बडौत कोताना जागोस मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।	13.720	1843.46	43.10	1886.56	368.69
6	396/40पी0जे0 (सामान्य)/ आर0एस0डी0-5 /2024, दिनांक 22.11.2024	प्रा0खं0 मेरठ	मवाना फलावदा घटायन मार्ग से मुबारिकपुर कौल रहावती दांदूपुर के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।	4.60	692.83	16.57	709.40	138.57
7	383/40पी0जे0 (सामान्य)/ आर0एस0डी0-5 /2024, दिनांक 20.11.2024	नि0खं0-2 फतेहपुर	बकेवर से करबिगवा वाया मुसाफा(ओडीआर) मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।	10.30	1485.64	36.31	1521.95	297.13
8	364/40पी0जे0 (सामान्य)/ आर0एस0डी0- 5/2024, दिनांक 19.11.2024	प्रा0खं0 बाराबंकी	छतौरा-कोठी-धौरहरा मंगलपुर-गुरूदत्तखेडा मार्ग(अजिमा) के किमी 11,12,13 एवं 14 में चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।	4.00	773.78	18.61	792.39	154.76
9	360/40पी0जे0 (सामान्य)/ आर0एस0डी0-5 /2024, दिनांक 19.11.2024	प्रा0खं0 शाहजहॉपुर	पीलीभीत बस्ती मार्ग से बेला जोगराजपुर हरनाई मार्ग(अजिमा) के चैनेज 0.00 से 9.30 किमी तका 14.50 से 15.50 किमी तक चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।	10.10	1820.79	43.91	1864.70	364.16

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

क्र0 सं0	मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लो0नि0वि0 का पत्र संख्या व दि0	खण्ड/ जनपद का नाम	कार्य का नाम	लम्बाई (कि0 मी0 में)	कार्य की लागत (18 % जी0एस0टी0 सहित)	5 वर्षीय अनुरक्षण की लागत (18 % जी0 एस0टी0 सहित)	कुल लागत (05 वर्षीय अनुरक्षण एवं 18 प्रतिशत जी0एस0टी0 सहित)	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	356/40पी0जे0 (सामान्य)/ आर0एस0डी0-5 /2024, दिनांक 19.11.2024	नि0खं0-2 कानपुर नगर	मंधना-टिकरा-हेतपुर-दूल-भूल-भाऊपुर किमी 1 से 8(100) में चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।	7.10	1347.38	28.84	1376.22	269.48
11	381/40पी0जे0 (सामान्य)/ आर0एस0डी0-5 /2024, दिनांक 20.11.2024	नि0खं0-1 शाहजहांपुर	एम0डी0आर0-103सी के किमी 13 से गढ़िया रंगीन मार्ग का तक चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।	13.650	2438.61	56.98	2495.59	487.72
12	432/40पी0जे 0(सामान्य)/ आर0एस0डी0-5 /2024, दिनांक 25.11.2024	नि0खं0-1 बरेली	मीरगंज से दिवना मार्ग(अजिमा) (मीरगंज से दिवना वाया हुरहुरी होते हुए) का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।	9.350	1682.92	32.86	1715.78	336.58
13	478/40पी0जे0 (सामान्य)/ आर0एस0डी0-5/ 2024, दिनांक 03.12.2024	प्रा0खं0 बुलन्दशहर	लखावटी-खानपुर-गेसूपुर बसीघाट मार्ग(अन्य जिला मार्ग) के किमी 01 से 09 तक चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।	9.000	1606.10	36.31	1642.41	321.22
14	416/40पी0जे0 (सामान्य)/ आर0एस0डी0-5 /2024, दिनांक 23.11.2024	नि0खं0-2 बुलन्दशहर	एन0एच0-91 से सिकद्राबाद आबादी भाग (अन्य जिला मार्ग) के किमी0 1 से 5 तक चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।	5.00	938.52	22.94	961.46	187.70
15	414/40पी0जे 0(सामान्य)/ आर0एस0डी0-5 /2024, दिनांक 22.11.2024	प्रा0खं0 हापुड़	रा0मा0-24(नया रा0मा0-9) सिखैड़ा से पीरनगर दतियाना होते हुए आगापुर वाया माधौपुर औरंगाबाद संपर्क मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।	15.800	2430.61	58.40	2489.01	486.12
16	358/40पी0जे0 (सामान्य)/ आर0एस0डी0-5 /2024, दिनांक 19.11.2024	प्रा0खं0 बिजनौर	बिजनौर मवाना मेरठ मार्ग(प्रमुख जिला मार्ग) के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।	4.100	774.02	17.98	792.00	154.80
17	481/40पी0जे0 (सामान्य)/ आर0एस0डी0-5 /2024, दिनांक 03.12.2024	प्रा0खं0 प्रयागराज	बड़ोखर रत्यौरा महुआव मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।(चैनेज 11.865 से 19.365	7.500	1634.89	39.96	1674.85	326.98

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

क्र0 सं0	मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लो0नि0वि0 का पत्र संख्या व दि0	खण्ड/ जनपद का नाम	कार्य का नाम	लम्बाई (कि0 मी0 में)	कार्य की लागत (18 % जी0एस0टी0 सहित)	5 वर्षीय अनुरक्षण की लागत (18 % जी0 एस0टी0 सहित)	कुल लागत (05 वर्षीय अनुरक्षण एवं 18 प्रतिशत जी0एस0टी0 सहित)	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	491/40पी0जे 0(सामान्य)/ आर0एस0डी0-5 /2024, दिनांक 05.12.2024	प्रा0खं0 कानपुर देहात	झींझक कंचौसी कैनाल पटरी मार्ग का 3.00 मी0 से 5.50 मी0 चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।(अजिमा)	9.930	1473.71	36.07	1509.78	294.74
19	412/40पी0जे 0(सामान्य)/ आर0एस0डी 0-5/2024, दिनांक 22.11.2024	नि0खं0-1 बाराबंकी	गाजीपुर दरियाबाद नवाबगंज (अजिमा) लम्बाई 8.560 के चैनेज 11.890 से 20.450 तक में चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।	8.560	1434.01	35.05	1469.06	286.80
20	410/40पी0जे0 (सामान्य)/ आर0एस0डी0-5 /2024, दिनांक 22.11.2024	प्रा0खं0 फतेहगढ़	जसमई श्रमदान मार्ग पुठरी मंदिर(प्राचीन शिव मंदिर) के चैनेज 7.500 से 16.000 तक के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।	8.500	1534.22	36.04	1570.26	306.84
21	420/40पी0जे0 (सामान्य)/ आर0एस0डी0 -5/2024, दिनांक 23.11.2024	नि0खं0-1 कन्नौज	एम0टी0टी0आई0 किमी 6 से उदयपुर बनियानी मछिया तालग्राम मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।(अजिमा)	10.57	1540.11	35.40	1575.51	308.02
22	449/40पी0जे 0(सामान्य)/ आर0एस0डी0 -5/2024, दिनांक 26.11.2024	प्रा0खं0 देवरिया	पकड़ी बरांव मोहरा मार्ग(अजिमा) के चैनेज 0.000 से 10.330 तक के भाग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।	10.330	2249.35	50.76	2300.11	449.87
23	447/40पी0जे0 (सामान्य)/ आर0एस0डी0 -5/2024, दिनांक 26.11.2024	प्रा0खं0 गौतमबुद्धनगर	झाझर-रबुपुरा-भाईपुर-मेंहन्दीपुर भोले का मंदिर मेंहन्दीपुर खादर(चण्डीगढ) अन्य जिला मार्ग के किमी 01 से 10(500) में चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।	9.500	2095.65	50.56	2146.21	419.13
24	445/40पी0जे0(सामान्य)/ आर0एस0डी0- 5/2024, दिनांक 26.11.2024	प्रा0खं0 प्रतापगढ़	उड्डैयाडीह पृथ्वीगंज(अन्य जिला मार्ग) का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।	7.230	1206.67	28.10	1234.77	241.33
25	443/40पी0जे0 (सामान्य)/ आर0एस0डी0- 5/2024, दिनांक 26.11.2024	प्रा0खं0 देवरिया	बैतालपुर बरपार बलटिकरा मार्ग का चौड़ीकरण एवं	9.200	1944.89	46.45	1991.34	388.98

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

क्र0 सं0	मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लो0नि0वि0 का पत्र संख्या व दि0	खण्ड/ जनपद का नाम	कार्य का नाम	लम्बाई (कि0 मी0 में)	कार्य की लागत (18 % जी0एस0टी0 सहित)	5 वर्षीय अनुरक्षण की लागत (18 % जी0 एस0टी0 सहित)	कुल लागत (05 वर्षीय अनुरक्षण एवं 18 प्रतिशत जी0एस0टी0 सहित)	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			सुदृढ़ीकरण का कार्य।(अजिमा)					
26	434/40पी0जे0 (सामान्य)/ आर0एस0डी0-5 /2024, दिनांक 25.11.2024	नि0खं0 मेरठ	रघुनाथ मोदीनगर मार्ग पर स्थित पतला से खानपुर सिवालखास जानी टीकरी रसूलपुर मढी होते हुए रोहटा तक(अजिमा) मार्ग के चैनेज 7.600 से 15.600 तक मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।	8.00	1088.75	26.20	1114.95	217.75
27	502/40पी0जे0 (सामान्य)/ आर0एस0डी0- 5/2024, दिनांक 10.12.2024	प्रा0खं0 बरेली	नवाबगंज से बीजामऊ से केसरपुर(मटकापुर तक) मार्ग के कि0मी0 1 से 16.350 तक चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।(अजिमा)	16.35	2440.68	49.39	2490.07	488.14
28	366/40पी0जे0 (सामान्य)/ आर0एस0डी0-5 /2024, दिनांक 19.11.2024	प्रा0खं0 सीतापुर	लहरपुर तम्बौर मार्ग (प्र0जि0मा0-83सी) के किमी0 26 से तम्बौर गांजर स्कूल से चटेला होते हुए रमुवापुर मार्ग(अजिमा) के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।	7.900	1425.23	32.20	1457.43	285.05
29	354/40पी0जे0 (सामान्य)/ आर0एस0डी0- 5/2024, दिनांक 19.11.2024	नि0खं0-1 पीलीभीत	बिलसण्डा बमरौली तिल्छी करेली मार्ग(अजिमा) के किमी0 1900 से 20.40 तक चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।(अजिमा)	1.400	294.85	7.21	302.06	58.97
30	375/40पी0जे0 (सामान्य)/ आर0एस0डी0-5/ 2024, दिनांक 20.11.2024	प्रा0खं0 आगरा	आगरा शमशाबाद राजाखेड़ा मार्ग से मझारा, निवोहरा फतेहाबाद मार्ग के अवशेष चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।(अजिमा)	3.500	455.03	10.87	465.90	91.01
31	422/40पी0जे0 (सामान्य)/ आर0एस0डी0-5 /2024, दिनांक 23.11.2024	नि0खं0-1 सीतापुर	महमूदाबाद चीनीमिल मार्ग(अजिमा) का	2.80	463.46	11.33	474.79	92.69

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

क्र0 सं0	मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लो0नि0वि0 का पत्र संख्या व दि0	खण्ड/ जनपद का नाम	कार्य का नाम	लम्बाई (कि0 मी0 में)	कार्य की लागत (18 % जी0एस0टी0 सहित)	5 वर्षीय अनुरक्षण की लागत (18 % जी0 एस0टी0 सहित)	कुल लागत (05 वर्षीय अनुरक्षण एवं 18 प्रतिशत जी0एस0टी0 सहित)	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।					
32	426/40पी0जे0 (सामान्य)/आर0एस0डी0-5 /2024, दि0 23.11.2024	नि0खं0-3 झांसी	खैड़नी बामौर गरौठा मार्ग (अजिमा) के चैनेज 10.800 से 23.20 तक में 02 लेन हेतु चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।	12.40	3086.19	74.56	3160.75	617.24
33	394/40पी0जे0 (सामान्य)/आर0एस0डी0-5/2024, दि0 22.11.2024	प्रा0खं0 बहराइच	मिहींपुरवा गोपिया पड़रिया मटेही बाजार के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।	15.26	3602.35	86.13	3688.48	720.47
34	441/40पी0जे0 (सामान्य)/आर0एस0डी0-5/2024, दि0 26.11.2024	प्रा0खं0 कानपुर नगर	बरीपाल में पी0जी0बी0 मार्ग चिल्ली मोड़ वाया सवईपुर चतुरीपुर असधना में चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।	17.250	2945.90	71.52	3017.42	589.18
35	418/40पी0जे0 (सामान्य)/आर0एस0डी0-5/2024, दि0 23.11.2024	नि0खं0 कन्नौज	तिर्वा खैरनगर औसेर हमीरपुर मार्ग(अन्य जिला मार्ग) के किमी 10.00 से 21.300 तक चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।	11.300	2553.70	60.42	2614.12	510.74
						कुल योग-	**57599.86**	**11256.47**

(1) प्रश्नगत कार्य की द्विरावृत्ति को रोकने की दृष्टि से प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, लखनऊ द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है। यदि द्विरावृत्ति पायी जाय तो उस स्वीकृति को निरस्त करते हुए संबंधित कार्य पर आवंटित धनराशि शासन को तत्काल समर्पित की जाय।

(2) प्रश्नगत कार्य को उस समय तक प्रारम्भ न किया जाय और न ही उन पर कोई व्यय भार लिया जाय जब तक कि स्वीकृत लागत के अन्तर्गत विस्तृत आगणन गठित कर उस पर सक्षम अधिकारी द्वारा प्राविधिक स्वीकृति प्रदान न कर दी जाय। यदि यह कार्यवाही सुनिश्चित नहीं की जाती है तो समस्त उत्तरदायित्व संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/अधिशासी अभियंता का होगा।

(3) अधिष्ठान व्यय की धनराशि समय-समय पर स्वीकृत/आवंटित की जा रही धनराशि के सापेक्ष ही जमा की जायेगी। अधिष्ठान व्यय की धनराशि वित्त(लेखा) अनुभाग-2 के संशोधित शासनादेश सं0-ए-2-1606/दस-2014-74(4)/75, दिनांक 11.11.14 द्वारा जारी संशोधित/परिवर्तित व्यवस्था के अनुसार राजकीय विभागों द्वारा कैश क्रेडिट लिमिट(सी0सी0एल0) प्रणाली व डिपार्टमेंट क्रेडिट

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

लिमिट(डी0सी0एल0) प्रणाली के अन्तर्गत किये जाने वाले कार्यों पर दिनांक 01.04.2014 से सेन्टेज कार्यांश(लागत 100) का 6.875 प्रतिशत सेन्टेज/अधिष्ठान व्यय की धनराशि वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश विभाग सं0-बी-1-901/दस- 2011-231/2011, दिनांक 21.03.2011 के संलग्नक में प्रदर्शित प्राप्ति लेखाशीर्षक-"1054-00-800-05-00-00" में ट्रान्सफर इंट्री डाटा क्रेडिट करके जमा की जायेगी।

(4) लेबर सेस की एक प्रतिशत धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

(5) मूल्य ह्रास आरक्षित निधि की धनराशि समय-समय पर स्वीकृत/ आवंटित की जा रही धनराशि के सापेक्ष ही जमा की जायेगी। मूल्य ह्रास आरक्षित निधि की धनराशि शासनादेश सं0-3280 (1)23-9-05-25-20एसी/05, दिनांक 21.09.2005 एवं शासनादेश सं0-313/23-9-2013-20एसी/04 टीसी, दिनांक 14.03.13 में की गई व्यवस्था के अनुसार लेखाशीर्षक" 1054-सड़क तथा सेतु-800-अन्य प्राप्तियां-04-टूल्स एवं प्लाण्ट की प्राप्तियां" में जमा करायी जायेगी।

(6) प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, लखनऊ द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा की परियोजना में जी0एस0टी0 की धनराशि समय-समय पर स्वीकृति/आवंटित की जा रही धनराशि के सापेक्ष नियमानुसार जमा की जायेगी।

(7) प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में 31 मार्च, 2025 तक कर लिया जाय। कार्य सम्पादन के अनुरूप उपयोगिता प्रमाण पत्र दिनांक 30 अप्रैल 2025 तक शासन को निश्चित रूप से उपलब्ध करा दिया जाय।

(8) प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि के सापेक्ष व्यय, वित्त विभाग द्वारा निर्गत आदेशों/ज्ञापों में उल्लिखित शर्तों के अनुसार बजट मैनुअल एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों, स्थायी आदेशों आदि तथा राज्य सड़क निधि नियमावली में किये गये प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जाय तथा किसी भी दशा में प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग किसी अन्य मद में न किया जाय।

(9) राज्य सड़क निधि हेतु गठित उ0प्र0 राज्य सड़क निधि प्रबंधन समिति द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं/प्रयोजनों के लिये ही स्वीकृत/आवंटित धनराशि का उपयोग किया जायेगा। यह सुनिश्चित किया जाय कि जिन प्रयोजनों हेतु राज्य सड़क निधि से धनराशि स्वीकृत हुई है वह उसी प्रायोजन हेतु व्यय की गयी है। विभाग द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जाय कि कार्य की स्वीकृति प्राप्त होने के बाद कार्य की अव्यवहारिकता दर्शाते हुए स्वीकृति निरस्त न हो।

(10) प्रश्नगत कार्य निर्धारित व अनुमोदित मानकों एवं विशिष्टियों के अनुरूप सम्पादित कराये जाय ताकि उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित हो सके। यदि किसी अपरिहार्य परिस्थितिवश निर्धारित मानकों/विशिष्टियों में परिवर्तन किया जाना अपेक्षित हो तो, उक्त परिवर्तन/विचलन शासन की पूर्वानुमति से ही किया जाय। प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, लखनऊ द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि आगणन में किसी भी प्रकार की त्रुटि न होने पाये।

(11) विभाग द्वारा यथावश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स नियमानुसार सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(12) प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, लखनऊ द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्यों हेतु पंचवर्षीय अनुरक्षण की स्वीकृति के सम्बन्ध में शासनादेश में निर्धारित व्यवस्था के अनुसार कार्यवाही की जाय।

(13) प्रायोजनान्तर्गत यदि वन भूमि से संबंधित कार्य प्रस्तावित किया जाता है तो इस संबंध में आवश्यक वैधानिक अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।

(14) प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ द्वारा प्रश्नगत कार्य से सम्बन्धित बचत (यदि हो तो) व कार्य पूर्णता इत्यादि की सूचना यथासमय शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

(15) सेन्टेज चार्जेज (प्रतिशत प्रभार), निर्माण लागत तथा वित्तीय स्वीकृति से सम्बन्धित वित्तीय प्रबंधन विषयक वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-01/2023/ए-2-60/दस-2023-17(4)/75, दिनांक 17.05.2023 एवं शासनादेश संख्या-02/2023/ए-2-66/दस-2023-17(4)/75, दिनांक 19.05.2023 में निर्धारित प्रक्रिया एवं निहित शर्तों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(16) प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ द्वारा वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप सं0-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04 मार्च, 2024 एवं शासनादेश संख्या-35/2024/बी-768/दस-2024-244/2024(II), दिनांक 27 दिसम्बर, 2024 तथा अन्य सुसंगत शासनादेशों तथा विभागीय व्यय-वित्त समिति की बैठक दिनांक 21-11-2024, 25-11-2024, 04-12-2024, 16-12-2024, 01-12-2024, 25-12-2024 एवं व्यय वित्त समिति की बैठक दिनांक 24-12-2024 में दिये गये निर्देशों का पूर्णतया अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय **रू0 1,12,56,47,000/- (रूपये एक अरब बारह करोड़ छप्पन लाख सैंतालीस हजार मात्र)** को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-58 **लेखाशीर्षक 5054043375800** राज्य सड़क निधि से सड़कों का निर्माण/सुदृढ़ीकरण/चौड़ीकरण मानक मद 24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04 मार्च, 2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

राजेश प्रताप सिंह
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-93/2025/आई/876756(1)/23-1-25/001-23-1002(002)/28/2025, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश शासन।

2- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

3- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

4- जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, संबंधित जनपद।

5- मुख्य अभियंता(मुख्यालय-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ ।

6- मुख्य अभियंता, संबंधित क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग।

7- संबंधित अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।

8- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

9- वेब मास्टर, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ ।

10- वेब अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

11- लोक निर्माण अनुभाग-10/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8, उ0प्र0 शासन।

12- नोडल अधिकारी (आनलाइन बजट एलॉटमेंट सिस्टम), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।

13- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

अभिषेक गंगवार

अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।